सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

25 श्रावण, 1944 (श०)

संख्या - 376 राँची, मंगलवार, 16 अगस्त, 2022 (ई०)

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची।

अधिसूचना

27 जुलाई, 2022

संचिका संख्या--5/प्रशि0(नियुक्ति-II)-237/2010-916 --भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या 60 दिनांक 24.01.2022 द्वारा अधिसूचित "झारखण्ड औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा/सम्वर्ग (अराजपत्रित पद पर नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2021 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली गठित करते हैं :--

2. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ :- (i) यह नियमावली "झारखण्ड औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा/सम्वर्ग (अराजपत्रित पद पर नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2021(प्रथम संशोधन, 2022)कहलाएगी ।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

(iii) यह नियमावली "झारखण्ड राजपत्र" में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी ।

3. झारखण्ड औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा/सम्वर्ग (अराजपत्रित पद पर नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2021 की कंडिका 13(ii) में निम्नांकित प्रावधान है:-

कंडिका-13 (ii) शैक्षणिक, तकनीकी एवं अन्य अर्हताएँ-शैक्षणिक, तकनीकी एवं अन्य अर्हताएँ प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत निदेश के आलोक में होगी ।

नोट:- उक्त निर्धारित योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को, जहाँ लागू हो, मैट्रिक/10वीं कक्षा एवं इंटरमिडिएट/10+2 कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था। से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा ।

परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा ।

परन्तु अनुकम्पा नियुक्ति एवं विभागीय सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा। को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

कंडिका-13 (ii) शैक्षणिक, तकनीकी एवं अन्य अर्हत्ताएँ -शैक्षणिक, तकनीकी एवं अन्य अर्हत्ताएँ प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक MSDE(DGT)-19/012/019-CD दिनांक 09.01.2020 तथा इसमें समय-समय पर इसमें होने वाले संशोधनों के आलोक में होगी ।

उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक/10वीं कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा ।

परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा ।

4. अधिसूचना संख्या 60 दिनांक 24.01.2022 द्वारा अधिसूचित "झारखण्ड औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा/सम्वर्ग (अराजपत्रित पद पर नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2021" की शेष कंडिकाएँ यथावत रहेंगी ।

5. विभागीय संलेख ज्ञापांक-745, दिनांक--24.06.2022 के द्वारा "झारखण्ड औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा/सम्वर्ग (अराजपत्रित पद पर नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली, (प्रथम संशोधन, 2022)" के गठन के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक-15.07.2022 को सम्पन्न बैठक में मद सं0-46 के रूप स्वीकृति प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

सरकार के सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 376 - 50